संख्या- 26 /2015/913 /एक-4-15-16बी-4/15

प्रेषक,

डी0के0सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त् एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0,लखनऊ।

2- जिलाधिकारी,

बुलन्दशहर, रायबरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर, आगरा, अलीगढ, कानपुर नगर एवं अमरोहा।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 23 जून, 2015**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला प्रशासन हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 एवं उपरोक्त जनपदों के जिलाधिकारियों के पत्रों के माध्यम से प्राप्त निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों के क्रय किये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआा है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न परिशिष्ट-क में उल्लिखित विवरण के अनुसार जिला प्रशासन के निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन यथा 03 महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कम्पनी की 03 बोलेरो कीमत रू0-16,99,278/- (प्रतिवाहन रू0-5,66,426/-की दर से) तथा 20 टाटा सूमो गोल्ड कीमत रू0-1,02,12,560/- (प्रतिवाहन रू0-5,10,628/-की दर से) कुल धनराशि रू0-1,19,11,838/- (रूपया एक करोड उन्नीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ अडतीस मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की निम्नलिखित शतों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त व्यय वित्तीय नियम संग्रह के सुसंगत क्रय नियमों एवं मितव्ययिता सम्बंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए किया जायेगा। वाहन के क्रय के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिस निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर नये वाहन का क्रय किया जा रहा है , उसके सापेक्ष पूर्व में वाहन का क्रय नहीं किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य हुए वाहन के सापेक्ष शासन अथवा अन्य स्रोत से पूर्व में किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

(2) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन अनुदान संख्या -50 के अर्न्तगत जिला प्रशासन के लिए वाहनों की मद से ही क्रय किया गया हो। धनराशि का उपयोग केवल वाहन के क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही किया जायेगा तथा वाहन का क्रय निर्धारित प्रक्रिया एवं सुसंगत क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सूक्ष्म तथा लघु उद्योग विभाग व राजस्व विभाग में निर्धारित नीति के अनुसार डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट पर किया जायेगा, यदि संलग्न परिशिष्ट - "क" में उल्लिखित वाहन क्रय करने के पश्चात धनराशि अवशेष बचती है तो उसे कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

-2-

http://chasanadesh.up.nic.in

(3) प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों का क्रय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(4) शासन द्वारा जिस प्रकार के वाहन के क्रय की अनुमति या स्वीकृति प्रदान की गई है, उसी प्रकार के वाहन को क्रय करके शासन को एक माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात ही संबंधित जनपद को अन्य वाहन स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा। नये वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर अनुबंध पर राज्य के अन्दर आथराइज्ड डीलर से नियमानुसार किया जायेगा, जिसको संबंधित जिलाधिकारी स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

(5) जनपद मिर्जापुर हेतु स्वीकृत वाहन के संबंध में निष्प्रयोज्य वाहन का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित कर वाहन क्रय किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक -2053-जिला प्रशासन -आयेाजनेत्तर -093-जिला स्थापनाएं -03-कलेक्ट्री स्थापना -14-मोटर गाडियों का क्रय मद के नामे डाला जायेगां ।

3- स्वीकृत धनराशि से संबंधित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-5-787/दस-2015 दिनांक 15 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त। (परिशिष्ट-क)

भवदीय,

(डी0के0सिंह)
विशेष सचिव ।

संख्या-26/2015/913(1)एक-4-15-16बी-4-15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (प्रथम),उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी बुलन्दशहर, रायबरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर, आगरा, अलीगढ, कानपुर नगर एवं अमरोहा।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-5
4- वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-2।
5- राजस्व अनुभाग-6
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>परिशिष्ट -क</u>

शासनादेश संख्या- 26/ 2015/913/एक-4-15-54बी-4/14, दिनांक 23 जून, 2015 का संलग्नक।

क्रम सं0	जनपद का नाम	निष्प्रोयोज्य वाहन की संख्या एवं प्रकार	स्वीकृत वाहन	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	बुलन्दशहर	यू0पी0-13डी-5757 (डीजल जीप)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
2	बुलन्दशहर	यू0पी0-13सी-8900 (डीजल जीप)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
3	रायबरेली	यू0पी0-33डी-1212 (महिन्द्रा जीप)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
4	रायबरेली	यू0पी0-33एजी-0018 (अम्बेसडरकार)	**बोलेरो**	**5,66,426-00**
5	पीलीभीत	यू0पी0-26जी-0016 (महिन्द्रा जीप)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
6	पीलीभीत	यू0पी0-26ए-6325 (महिन्द्रा जीप)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
7	पीलीभीत	यू0पी0-26जी-0017 (महिन्द्रा जीप)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
8	मुरादाबाद	यू0पी0-21पी-3672 (जीप्सी)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
9	मुरादाबाद	यू0पी0-21पी-3351 (जीप्सी)	**बोलेरो**	**5,66,426-00**
10	कन्नौज	यू0पी0-74जी-0015 (मारूती जीप्सी)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
11	कन्नौज	यू0पी0-74-1717 (महिन्द्रा जीप)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
12	लखीमपुर खीरी	यू0पी0-71ई-5952 (महिन्द्रा जीप)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
13	इलाहाबाद	यू0पी0-70एबी-7614 (जीप्सी पेट्रौल)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
14	इलाहाबाद	यू0पी0-70डब्लू-2200 (अम्बेसडर क्लासीक कार)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
15	इलाहाबाद	यू0पी0-70-7272 (महिन्द्रा जीप)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
16	सहारनपुर	यू0पी0-11एजी-0043 (टाटा सूमो)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
17	सहारनपुर	यू0पी0-11-2577(महिन्द्रा जीप)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
18	सहारनपुर	यू0पी0-11सी-5500 (महिन्द्रा जीप)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
19	मिर्जापुर	यू0पी0-63जी-0152 (टाटा स्पेशियो)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
20	आगरा	यू0पी0-83जी-0184 (टाटा सूमो विक्टा)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
21	अलीगढ	यू0पी0-81एजी-0008 (महिन्द्रा जीप)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
22	कानपुर नगर	यू0पी0-78एएफ-9999(अम्बेसडर कार)	**बोलेरो**	**5,66,426-00**
23	अमरोहा	यू0पी0-21ए-7060(महिन्द्रा जीप डीजल)	टाटा सूमो गोल्ड	5,10,628-00
	योग-			**1,19,11,838-00**

(रूपया एक करोड उन्नीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ अडतीस मात्र)

(डी0के0 सिंह)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in